राजेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2026 को V.C. के माध्यम से जिला पदाधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित योजनाओं, सरकार के महत्त्वपूर्ण कार्य तथा Flagship Schemes के समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

सर्वप्रथम आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा बैठक में V.C. के माध्यम से उपस्थित जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज तथा अन्य उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित योजनाओं की प्रगति तथा सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिये गये :-

1. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के **प्रगति यात्रा** के दौरान घोषित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। प्रतिवेदन के अनुसार जिला-वार स्थिति निम्नवत है :-

क्र0	जिला का नाम	प्रगति यात्रा के दौरान उद्घोषित योजनाओं की कुल संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	कार्य आरंभ	अभ्युक्ति
1	पूर्णिया	9	1	6	06 योजना का प्रगति पर है। 02 योजना कार्य निविदा के प्रक्रिया में।
2	कटिहार	7	-	3	03 योजना का कार्य प्रगति पर है। शेष योजना का कार्य निविदा की प्रक्रिया में है।
3	अररिया	7	-	5	05 योजना का प्रगति पर है। 02 योजना कार्य निविदा के प्रक्रिया में।
4	किशनगंज	7	-	7	07 योजना का प्रगति पर है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि कई योजनाओं में अबतक कार्य आरंभ नहीं हुआ है। जिन योजनाओं में कार्य आरंभ नहीं हुआ है, संबंधित जिला पदाधिकारी उसका योजनावार सकारण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायेंगे। **तथा जिस पदाधिकारी/कर्मी के स्तर पर विलम्ब हुआ है, उनके विरूद्ध आरोप-पत्र गठित कर प्रतिवेदित करेंगे।** उपरोक्त योजनाओं को निर्धारित Timeline के अनुसार अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्यान्वित कराने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी इसका सतत अनुश्रवण करेंगे। तथा योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। सरकार के सात निश्चय-3 के तहत सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर जिला पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

2. **Flagship Schemes :-**

a. केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजनाओं (Flagship Schemes) का संबंधित जिला पदाधिकारी सतत् अनुश्रवण करेंगे तथा कठिनाईयों का निराकरण करते हुए तेजी से कार्य सुनिश्चित करेंगे।

b. जिला अंतर्गत Industrial Hub के लिए प्रस्तावित जमीन का यथोचित चयन तथा सरकार द्वारा निर्धारित Timeline के अनुसार भू-अर्जन सहित अन्य सभी वांछित कार्रवाई ससमय सुनिश्चित किया जाए। भूमि अर्जन का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार को भेजने हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए। जिला में औद्योगिक ईकाईयों के अधिष्ठापन तथा पूर्व से चल रहे ईकाईयों को हो रही कठिनाईयों का यथाशीघ्र निस्तार किया जाए।

समीक्षोपरान्त जिला-वार प्रमुख Flagship योजना की विवरणी निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	जिला	प्रमुख Flagship योजना
01	अररिया	01. औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव भूमि सुधार विभाग को भेजना है। 02. गोरखपुर-सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे हेतु भूमि अर्जन। 03. अररिया-कुर्साकांटा-कुआड़ी-सिकटी पथ के चौड़ीकरण।
02	पूर्णिया	01. औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव भूमि सुधार विभाग को भेजना है।

		02. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे हेतु भूमि अर्जन। 03. पूर्णिया एयरपोट/Indian Force Station से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन। 04. पूर्णिया एयरपोर्ट हेतु चार लेन Connectivity Road तथा Aerocity हेतु प्रस्ताव/ भू-अर्जन। 05. काझा कोठी का सौदर्यीकरण एवं Renovation का कार्य।
03	कटिहार	01. औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव भूमि सुधार विभाग को भेजना है। 02. राजेन्द्र स्टेडियम का Renovation का कार्य। 03. कटिहार-बलरामपुर SH का निर्माण। 04. गोरखनाथ धाम का सौदर्यीकरण एवं Renovation का कार्य। 05. गोगाबील झील में सुविधाओं का विकास।
04	किशनगंज	01. औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव भूमि सुधार विभाग को भेज़ना है। 02. भारत माला परियोजना के अंतर्गत किशनगंज से बहादुरगंज तक फोर लेन सड़क का निर्माण। 03. गोरखपुर-सिल्लीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे का निर्माण। 04. पोठिया प्रखंड में जीविका चाय फैक्ट्री (महानंदा टी फैक्ट्री) का संचालन।

3. धान अधिप्राप्ति के कार्यों की समीक्षा की गई। प्रतिवेदन के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान अधिप्राप्ति हेतु कुल लक्ष्य के विरूद्ध प्रमंडलाधीन पूर्णिया जिले में 56.50 प्रतिशत, कटिहार जिले में 46.66 प्रतिशत, अररिया जिले में 56.49 प्रतिशत एवं किशनगंज जिले में 57.23 प्रतिशत धान का क्रय किया गया है। स्पष्ट है कि धान अधिप्राप्ति की प्रगति धीमी है। अतः धान अधिप्राप्ति हेतु निम्नांकित बिंदुओं पर त्वरित कार्रवाई की जाय :-

- किसानों को पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से धान बिक्री हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सघन जागरूकता अभियान चलाया जाय।
- समितियों के पास धान भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नये गोदामों को चिन्हित कर उनका मैपिंग कराया जाय। तथा आवश्यकतानुसार पंचायत में एक से अधिक क्रय केन्द्रों का संचालन कराकर धान की अधिप्राप्ति कराया जाय।
- अधिप्राप्ति के लिए किसानों से आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रत्येक प्रखंड में आवेदन सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) की स्थापना की गई है। उक्त केन्द्रों का नियमित अनुश्रवण कराते हुए किसानों को सहायता प्रदान की जाय।
- अधिप्राप्ति कार्य के संपूर्ण प्रक्रिया का प्रभावकारी अनुश्रवण कराया जाय एवं किसी भी स्तर पर त्रुटि पाये जाने पर विधिसम्मत् कार्रवाई की जाय।
- चावल (CMR) आपूर्ति हेतु राईस मिलों के साथ समितियों का टैगिंग यथाशीघ्र कराई जाय।

4. प्रमंडलाधीन जिलावार एग्री स्टैक (फार्मर रजिस्ट्री) योजना के तहत किसान निबंधन की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :-

क्र0	जिला	चिन्हित ग्रामों (Bucketed Villages) की कुल संख्या	फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्रारंभ किये गये ग्रामों की कुल संख्या	e-Kyc की कुल संख्या	निबंधित किसानों की कुल संख्या
1	पूर्णिया	1087	770	202479	126162
2	कटिहार	1333	572	209342	13941
3	अररिया	719	497	229273	109260
4	किशनगंज	729	410	11288	66671
कुल :-		**3868**	**2249**	**752382**	**439034**

उपरोक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभी भी कई ग्राम में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। अतः चिन्हित सभी ग्रामों (Bucketed Villages) में फार्मर रजिस्ट्री हेतु यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ की जाय। फार्मर रजिस्ट्री अंतर्गत किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक द्वारा सभी किसानों का e-Kyc सत्यापन कराया जाय तथा इसका अनुश्रवण जिला कृषि पदाधिकारी करेंगे। साथ ही निम्नांकित प्रपत्र में साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार को 5 PM तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे :-

जिला	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत

5. जिलावार दिनांक 31.03.2026 तक रिक्त पदों के रोस्टर क्लीयरेंस की समीक्षा की गई। विगत दिनों में अभियान चलाकर रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई की गई है। शेष बचे रिक्त पदों का भी रोस्टर क्लीयरेंस का नियमानुसार अनुमोदन करा लिया जाय। तथा रिक्ति की अधियाचना सरकार को भेज दी जाय।

6. **नीलाम पत्र :-** इस संबंध में राजस्व पर्षद का कार्यवाही ज्ञापांक 2462 दिनांक 25.09.2025 तथा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया का कार्यवाही ज्ञापांक 6644 दिनांक 25.11.2025 संदर्भित है। अभी भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 2005 के पुराने मामलों तथा 01 करोड़ से अधिक राशि वाले मामलों को तत्परता से निष्पादित किया जाय। ऐसे मामलों को चिन्हित करते हुए प्रत्येक सप्ताह सुनवाई की जाए। तथा बकायेदार द्वारा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में BW निर्गत कर Execution किया जाए। ऐसा देखा जा रहा है कि नीलाम पत्र पदाधिकारी के स्तर से लंबी तिथि देने तथा अनावश्यक प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के कारण इसमें कोई प्रगति नहीं होती है। जबकि इन सभी मामलों में बकायेदार को उचित अवसर देते हुए पक्ष सुनकर निष्पादित किया जाना है। यानी राशि की वसूली की जानी है। **अतः इस प्रकार के स्थिति के लिए अनावश्यक विलम्ब करने वाले संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी को चिन्हित करते हुए जिला पदाधिकारी कारण पृच्छा करेंगे।**

7. **Land Survey Work :-** सभी जिला पदाधिकारी से अपेक्षा है कि समय-समय पर अपने बंदोबस्त पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा कर लें। तथा यह सुनिश्चित कराया जाय कि प्रक्रियात्मक कार्यों का क्रियान्वयन नियमानुसार हो सके। विशेषकर कैम्प संचालन तथा आम सभा के कार्यों पर निगरानी रखें। इसका समय-समय पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता भी निरीक्षण करते हुए सत्यापन करेंगे।

8. राज्य सरकार के स्तर से विशेषकर गृह विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। इसकी समीक्षा सभी जिला पदाधिकारी अलग से कर लेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त लंबित जाँच अधिकतम 6 सप्ताह में पूरा किया जाए तथा रिपोर्ट भेजा जाय। जिला पदाधिकारी जिला अन्तर्गत लंबित विभागीय कार्यवाही की समीक्षा कर लें तथा 6 माह से अधिक पुराने मामलों में विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी को एक माह के अन्दर सप्ताहिक सुनवाई करते हुए तथा पुरी प्रक्रिया को अपनाते हुए निष्पादन करने का निदेश देंगे। जो विभागीय कार्यवाही एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है उनके संचालन पदाधिकारी से कारण पृच्छा करते हुए अपने मंतव्य के साथ उपस्थापित करेंगे।

9. समीक्षा में यह पाया गया है कि विभिन्न कार्यालयों यथा-प्रखंड एवं अंचल कार्यालय आदि में एक बड़ी राशि का अग्रिम वर्षों से लंबित है। इसके अलावे बड़ी संख्या में अभिश्रव भी समायोजन हेतु लंबित है। अतः इस संबंध में जिला अन्तर्गत सभी कार्यालयों के लिए अभियान चलाकर लंबित अग्रिम एवं अभिश्रव का समायोजन की कार्रवाई की जाय। प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी एक माह के अन्दर इस लंबित कार्य को पूर्ण करेंगे।

जिला अन्तर्गत अन्य कार्यालय के संदर्भ में जिला पदाधिकारी समरूप कार्य सुनिश्चित करेंगे। यह सरकारी कार्यालय के वित्तीय अनुशासन एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक है।

10. समीक्षा तथा प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह पाया गया है कि मुख्य रूप से जिला भू-अर्जन कार्यालय तथा अभिलेखागार कार्यालय से संबंधित काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अतः इस पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाय। साथ ही जिला पदाधिकारी अगले माह में अपने जिला भू-अर्जन कार्यालय तथा अभिलेखागार का औचक निरीक्षण समय-समय पर करें। इस बिंदु पर प्रतिवेदन दें कि पंचाट स्वीकृति के

उपरांत अनावश्यक रूप से भुगतान के कितने मामले लंबित हैं तथा इस हेतु जिम्मेवार कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाय।

<u>अन्यान्य :-</u>

- नीलाम पत्र वाद में BW/DW के Execution की कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाय। कटिहार जिला में नीलाम पत्र वाद का सबसे पुराना मामला वर्ष-1973-74 एवं पूर्णिया जिला का वर्ष 1985-86 का है। नीलाम पत्र वाद के वर्ष 2000 के पूर्व के सभी मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाय।
- केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसी से संबंधित लंबित मामले पर विशेष ध्यान देकर निष्पादित किया जाय।
- थानों में CCTV के क्रियान्वयन की समीक्षा में यह पाया गया कि कई थानों में CCTV कैमरा अक्रियाशील है। संबंधित एजेंसी से समन्वय स्थापित कर उन्हें कैमरों को क्रियाशील करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया जाय। अगर समय सीमा के अंदर एजेंसी द्वारा CCTV कैमरा को क्रियाशील नहीं किया जाता है तो अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभाग को भेजें।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी। उपरोक्त बिन्दुओं की समीक्षा अगले माह की जायेगी।

ह0-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक ..... सहरसा, दिनांक .....

प्रतिलिपि :- सभी अपर समाहर्त्ता/उप विकास आयुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मेयर, नगर निगम, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 778 पूर्णिया, दिनांक 07/02/2026

प्रतिलिपि :- विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Pmck.
06/2/2026.
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।